संख्या-12/4/1/2002टीसी-1-का-2/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2 समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 29 अक्टूबर, 2015

विषय- पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नत कर्मियों को कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनॉक 21-08-2015 तथा 22-09-2015 के अनुसार ही पदावनत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नति प्राप्त कर्मियों को पदावनत करने के संबंध में कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/4/1/2002टीसी-1-का-2/2015, दिनॉक 21 अगस्त, 2015 एवं शासनादेश संख्या-10/4/1/2002टीसी-1-का-2/2015, दिनॉक 22 सितम्बर, 2015 प्रसारित किये गये हैं।

2 शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाये गये हैं कि कतिपय प्रकरणों में उक्त वर्णित शासनादेशों के प्रावधानों से भिन्न आधार पर पदावनति की कार्यवाही की गयी है/की जा रही है।

3 अतएव आपसे अपेक्षा की जाती है कि कार्मिक विभाग के उक्त वर्णित शासनादेश दिनॉक 21-08-2015 तथा 22-09-2015 के अनुसार ही कार्यवाही की जाये। उसके इतर कार्यवाही न की जाये।

भवदीय,

(आलोक रंजन)

मुख्य सचिव।

www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in